रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
सत्यमेव जयते
Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-04032022-233926
SG-DL-E-04032022-233926

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 123]	दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 3, 2022/फाल्गुन 12, 1943	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 483
No. 123]	DELHI, THURSDAY, MARCH 3, 2022/PHALGUNA 12, 1943	[N. C. T. D. No. 483

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

शिक्षा निदेशालयः स्थापना –1 शाखा

अधिसूचना

दिल्ली, 2 मार्च, 2022

F.No.DE1(49)/357/RRs/Amendment/Driver/2018/1524.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 13 जुलाई, 1959 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 840 फा. 27/59–एचआईएम (i), भाग–II , खण्ड–3, उपखण्ड–(i) में प्रकाशित, के साथ पठित भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा अधिसूचना सं. फा. डीई1(49)/8/ई–1/3443–3450 दिनांक 19.02.2002 के अधिक्रमण में, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई या किए जाने वाले के लिए हटाई गई बातों को छोड़कर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, एतद् द्वारा शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में स्टाफ कार चालक (विशेष ग्रेड) के पद की भर्ती पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित संशोधन करते हैं , अर्थात् :–

1. **संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ** :– (i) इन नियमों को शिक्षा निदेशालय, स्टाफ कार चालक (विशेष ग्रेड) भर्ती नियमावली, 2022 कहा जायेगा।

   (ii) ये दिल्ली राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. अनुप्रयोग : ये नियम इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम 1 में निर्दिष्ट पदों के लिए लागू होंगे।

3. **पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर** :– उक्त पदों की संख्या, वर्गीकरण, पे बेण्ड तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

4. **भर्ती पद्धति, आयु सीमा तथा अन्य योग्यताएं, इत्यादि** :– उक्त पदों की भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यताएं एवं इससे संबंधित अन्य मामलें उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

5. **अयोग्यता** :– वह व्यक्ति,

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या विवाह की संविदा की है या

(ख) जो एक जीवित पति/पत्नी के होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह कर चुका है या विवाह अनुबंध कर चुका है, वह उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

शर्त यह है कि यदि सरकार संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति एवं विवाह के अन्य पक्ष पर लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत है और ऐसा करने के लिये अन्य आधार हैं किसी ऐसे व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन की छूट दे सकती है।

6. **शिथिल करने की शक्तिः**–जहां सरकार का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक समीचीन है, तो वह कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए आदेश द्वारा तथा संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से व्यक्तियों की किसी श्रेणी या वर्ग के इन नियमों के किसी उपबंध को छूट दे सकती है।

7. **बचावः**– इन नियमों में किसी उल्लेख से सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिक तथा अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिये अपेक्षित आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुसूची

क्रम सं.	पदनाम	अनुमोदित नियमों में प्रावधान	प्रस्तावित संशोधित प्रावधान
1.	**पदनाम**	स्टाफ कार चालक, विशेष ग्रेड	स्टाफ कार चालक, विशेष ग्रेड
2.	**पदों की संख्या**	01 (1) अर्थात् शिक्षा निदेशालय में स्वीकृत संख्या बल के पदों का 5 प्रतिशत	01 (एक)*2020 *परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर *विभाग में स्टाफ कार चालक की स्वीकृत संख्या बल के पदो के 5 प्रतिशत के अधीन
3	**वर्गीकरण**	समूह ''ग'' अराजपत्रित अलिपिकीय	सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह ''ख' अराजपत्रित अलिपिकीय
4	**वेतन मैट्रिक्स में वेतनमान स्तर**	5000–8000/– रुपये पांचवे केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार तथा 9300 –34800/–रुपये + ग्रेड पे – 4200/–रुपये, छठे केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार	वेतन मैट्रिक्स के स्तर–6 में वेतनमान 35400–112400/–रुपये
5	**क्या चयन पद है अथवा गैर**	गैर चयन (वरिष्ठता –सह–आरोग्यता	गैर चयन

	चयन पद		
6	**सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा**	लागू नहीं	लागू नहीं
7	**सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएं**	लागू नहीं	लागू नहीं
8	**क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं आयु सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी।**	लागू नहीं	लागू नहीं
9	**परीवीक्षा की अवधि, यदि कोई है**	लागू नहीं	दो वर्ष
10	**भर्ती की पद्धति सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ समावेशन द्वारा विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत**	पदोन्नति द्वारा	पदोन्नति द्वारा
11	**यदि पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति / समावेशन द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / समावेशन किया जाना है**	ग्रेड में तीन वर्ष की नियमित सेवा वाले वेतनमान 4500–7000/– रुपये में स्टाफ कार चालक ग्रेड–1 , बशर्ते कि वरिष्ठता –सह –आरोग्यता एवं परिवहन विभाग द्वारा संचालित उपयुक्त मानक की ट्रेड परीक्षा उत्तीर्ण की हो।	**पदोन्नति :** ग्रेड में तीन वर्ष की नियमित सेवा वाले वेतन मैट्रिक्स के स्तर –5 (29200–92300/–रुपये) में स्टाफ कार चालक ग्रेड –1 से।
12	**यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो इसकी संरचना क्या है।**	समूह 'ग' विभागीय पदोन्नति समिति	समूह ''ख'' विभागीय पदोन्नति/स्थाईकरण समितिः 1. विशेष सचिव, शिक्षा निदेशालय (वित्त) – अध्यक्ष 2. उप लेखा नियंत्रक , शिक्षा निदेशालय, रा.रा.क्षे.दि.स–सदस्य 3. उप निदेशक, शिक्षा (जीओसी) रा.रा.क्षे.दि.स.–सदस्य **4.** उप निदेशक, शिक्षा (ई – III) रा.रा.क्षे.दि.स.–सदस्य
13	**वे परिस्थितियॉं जिनमें भर्ती के**	लागू नहीं	संघ लोक सेवा आयोग से

	लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।		परामर्श आवश्यक नहीं है ।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से और उनके नाम पर,

रामचन्द्र महादेव शिंगारे, संयुक्त सचिव

DIRECTORATE OF EDUCATION: ESTABLISHMENT-I BRANCH,

NOTIFICATION

Delhi, the 2nd March, 2022

F.No. DE1(49)/357/RRs/Amendment/Driver/2018/1524.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India read with the Government of India, Ministry of Home Affairs Notification No. G.S.R. 840, F.27/59-Him (i), dated the 13th July, 1959, published in Part-II, Section-3, Sub-Section (i) Extra-Ordinary, 13th July, 1959 and in supersession of notification number No. DE 1 (49)/8/E-I/3443-3450 dated 19th February, 2002 except as respects thing done or omitted to be done before such supersession, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi, is pleased to make the following amendments, regulating the method of recruitment to the post of Staff Car Driver (Special Grade) in the Directorate of Education, Government of National Capital Territory of Delhi, namely :-

1. Short title and commencement.-(i) These rules may be called Directorate of Education, Staff Car Driver, Special Grade Recruitment Rules, 2022.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Delhi Gazette.

2. Application: These rules shall be applicable to the posts specified in Column 1of the schedule annexed to these rules.

3. Number of posts, classification and pay level in the pay matrix. - The number of post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

4. Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.--- The method of recruitment to the said post, age limit, qualifications and other matters relating thereto, shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

5. Disqualification - No person.-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. Power to relax.- Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. Saving.- Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

S. No.	Nomenclature	Provisions in the approved rules	Revised provisions proposed
1.	Name of the Post	Staff Car Driver, Special Grade	Staff Car Driver, Special Grade
2.	No. of posts	01 (One) i.e. 5% of posts of sanctioned strength in Directorate of Education	(01)* (2020) *Subject to variation dependent on workload. *Subject to 5% of posts of sanctioned strength of Staff Car Driver in the Department
3.	Classification	Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial	General Central Service **Group- 'B'** Non-Gazetted, Non-Ministerial.
4.	Pay Scale Level in the pay matrix	Rs.5000-8000 as per 5th CPC and Rs.9300-34800 + Grade Pay of Rs.4200/- as per 6th CPC	Pay Scale of Rs.35400-112400 in Level-6 of pay matrix
5.	Whether selection post or non-selection post	Non-selection (seniority-cum-fitness)	Non-selection.
6.	Age limit for direct recruits	Not applicable	Not applicable
7.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Not applicable	Not applicable
8.	Whether age & educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Not applicable	Not applicable
9.	Period of probation, if any	Not applicable	Two years
10.	Method of recruitment: whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	By promotion	By promotion
11.	In case of recruitment by promotion/ deputation/ absorption, grades from-which promotion/ deputation/ absorption to	From Staff Car Driver, Grade-I in the scale of Rs.4500-7000 having three years regular service in the grade subject to seniority-cum-fitness and subject to passing of the Trade test of appropriate	Promotion: From Staff Car Driver, Grade-I in Level-5 (Rs. 29200-92300) of pay matrix having 03 years regular service in the grade.

	be made	standard to be conducted by the Transport Department.	

12.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Group 'C' DPC	Group 'B' DPC for considering promotion/confirmation: Special DE (Finance), Govt. of NCT of Delhi- Chairman. DCA, Directorate of Education, Govt. of NCT of Delhi- Member 3. Deputy Director of Education (GOC), Govt. of NCT of Delhi- Member. 4. Deputy Director of Education (E-III), Govt. of NCT of Delhi- Member
13.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment	Not applicable	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

By Order and in the Name of the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi.

RAMCHANDRA MAHADEV SHINGARE, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR